कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–संरक्षण) मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/संरक्षण/कक्ष–4/ 1753 भोपाल, दिनांक 28/11/02

प्रति,

समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

समस्त व0मं0 अधिकारी एवं

संचालक, राष्ट्रीय उद्यान

मध्यप्रदेश।

विषयः–बेरियर नाके पर चैंकिग हेतु सृध्ढ़ व्यवस्था।

———————0———————

उपरोक्त विषय के संबंध में लेख किया जाता है कि आपने आधीनरथ वृत्तों में लगे चैंकिग नाके की व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जावे।

कई वार ऐसे प्रकरण सामने आते है जहां फर्जी टी0पी0 से वनोपज की निकासी होती है एवं बेरियर पर ट्रक को पकड़ा नही जाता है। अतः भविष्य में आप स्वयं रूचि लेकर इस ओर ध्यान दे। बेरियर व्यवस्था सुद्रढ़ करने हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते है। कृपया इनका पालन सुनिश्चित करें :–

निर्देश

1– बेंरियर पर पदस्थ कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जावें। बेरियर पर नियुक्त कर्मचारी को फोटो युक्त परिचय पत्र प्रदान किया जावे कि वे उक्त बेरियर पर वन उपज निकासी की चैकिंग हेतु अधिकृत हैं साथ ही उपस्थित कर्मचारी का गणवेश में रहना अनिवार्य किया जावे।

2 बेरियर पर पदस्थ कर्मचारियों को टी0पी0 संबंधित तथा राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत वन उपज एवं उससे संबंधित नियमों का ज्ञान एवं बेतार संदेश हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जावे।

3– बेरियर पर आवश्यकतानुसार वायरलेस हेण्ड सेट प्राथमिकता से उपलब्ध कराये जावे एवं विभिन्न बेरियर की आपस में वायरलेस सेट के जरिये एक दूसरे से सम्पर्क (Net Working) स्थापित किया जावे।

4– बेरियर के निकासी पत्रक की द्वितीय प्रति परिक्षेत्र कार्यालय में प्रतिदिन भेजी जाना अनिवार्य किया जावे ।

23/11/02
4:14 PM

उप वनमण्डल स्तर पर प्रत्येक माह समीक्षा की जावे तथा इसके साथ ही वनमण्डल स्तर
त्रैमासिक समीक्षा की जावे ।

6– जिस बेरियर पर वन उपज की चैकिंग की जा रही है वे पूर्ण रूप से यह सुनिश्चित करेगें पिछले बैरियर पर उक्त वन उपंज की प्रविष्टि की गई है अथवा नहीं यदि नहीं तो उस सूचना परिक्षेत्र अधिकारी को देकर आगामी कार्यवाही करेगें ।

7– वन परिक्षेत्र अधिकारी व उप वनमण्डलाधिकारी द्वारा तथा उड़न दस्ता द्वारा समय समय आकस्मिक निरीक्षण कर प्रतिवेदन वनमण्डल कार्यालय को समीक्षा हेतु प्रस्तुत करें।

8– प्रत्येक बैरियर पर उपस्थित कर्मचारियों द्वारा निकासी की जा रही वन उपज का सू निरीक्षण किया जावे तथा निकासी पत्रक में निम्न दर्शित कॉलमों का विशेष रूप से ध्य किया जावे उसके उपरान्त ही वन उपज की निकासी की जावे :-

(A) किसके नाम से टी0पी0 जारी की गई ।

(B) निकासी का पूर्ण मार्ग एवं गत्तव्य स्थान

(C) समय सीमा कब से कब तक

(D) वाहन का प्रकार व वाहन कमांक

(E) मूल निकासी पत्रक

(F) वन उपज की मात्रा टी0पी0 अनुसार

(G) किसी प्रकार की काट छांट वाली टी0पी0 मान्य न करें

9– किसी वाहन को शंकास्पद होने की स्थिति में रोक कर तत्काल परिक्षेत्र अधिकारी एवं वनमण्डल /वनमण्डल अधिकारी को सूचित करें तथा वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश उपरांत कार्यवाही करें ।

10– अन्तर्राज्यीय बैरियरों पर टी0पी0 सत्यापन हेतु पिछले वन परिक्षेत्र कार्यालय से सत्यापन करें । इसके बाद ही अपने प्रदेश की टी0पी0 जारी करें एवं अपने प्रदेश के प कार्यालय में 12 घन्टे के भीतर सूचित करें ।

11– अन्तर्राज्यीय बैरियर पर टी0पी0 जारी करने वाले के अभिप्रमाणित हस्ताक्षर रखे ज जिनसे मिलान करने के उपरान्त ही वन उपज की निकासी की जावे ।

12– टी0पी0 की छाया प्रति(फोटो स्टेट) कापी मान्य न की जावे साथ ही टी0पी0 पर वन मण्ड कार्यालय की सील स्पष्ट लगी होना चाहिये ।

13– बैरियर से व0म0/परिक्षेत्र को जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त हो रही है या नहीं समीक्षा व0म0अ0 द्वारा प्रतिमाह एवं व0सं0 संरक्षक द्वारा प्राप्ति तीन माह में की जावें।

28/11/07

मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
मध्यप्रदेश, भोपाल